न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, **RAS**

प्रकरण संख्या : 32/2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025/38

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	सुश्री लेखानी सोनी पुत्र श्री रजनीकान्त निवासी– शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स सुटो केफे, शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 13–01--2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **30–06–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **07–04–2025** को दौराने निरीक्षण 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स सुटो केफे, शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा (राज.)** पर पहुंचा तो वहाँ पर **सुश्री लेखानी सोनी पुत्र श्री रजनीकान्त मिली विक्रेता की उपस्थिति में परिसर** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **पिज्जा ब्रेड (लूज) 08 पैकेट प्रत्येक 250 ग्राम का रखा हुआ था। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिलावट का** शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5अ पर सूचना देते हुए **पिज्जा ब्रेड (लूज) 4 पैकेट प्रत्येक 250 ग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **240/–** रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा लगभग **01 किलोग्राम पिज्जा ब्रेड (लूज) को चार साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में डालकर उनमे परीक्षक फॉर्मलीन की 20--20 बूंदे प्रत्येक भाग में डालकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया।** उक्त तैयार लेबल मे

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

से एक–एक लेबल कर किरानों को गोंद से चिपकाया। चारों नमूनो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को गोंद से चिकाया प्रत्येक पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2103** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2025/269 दिनांक 04–06–2025** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक **503 दिनांक 17–04–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **पिज्जा ब्रेड (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2103** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा पुनः निर्धारित समयावधि में अपील नही की गयी।

विक्रेता द्वारा **पिज्जा ब्रेड (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दिनांक 01–07–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 05.08.2025 को अप्रार्थी का नोटिस तामील अदम तामिल अप्राप्त हुआ। उसके पश्यात अप्रार्थी को 09.09.2025, 04.11.2025 पुनः नोटिस जारी किये गए नोटिस तामिल – अदम तामिल अप्राप्त हुए। ततपश्चात् अप्रार्थी को दिनांक 25.11.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी के पते पर प्रेषित किये गए। प्रेषित नोटिस भारतीय डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित को दिनांक 28.11.2025 को प्राप्त हो चुके है। तत्पश्चात् अप्रार्थी दौराने सुनवाई आज दिनांक तक अनुपस्थित रहा है। आज अप्रार्थी के नाम से बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु गैरसायल/आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं उपस्थित विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस में निवेदन किया कि दिनांक 07–04–2025 को 01.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स सुटो केफे, शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा (राज.) पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर सुश्री लेखानी सोनी पुत्र श्री रजनीकान्त उपस्थित थी।** विक्रेता की उपस्थिति में **मैसर्स सुटो केफे, शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में पिज्जा ब्रेड (लूज) 08 पैकेट प्रत्येक 250 ग्राम का रखा हुआ था। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5अ पर सूचना देते हुए पिज्जा ब्रेड (लूज) 4 पैकेट प्रत्येक 250 ग्राम वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240/– रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा लगभग **01 किलोग्राम पिज्जा ब्रेड (लूज) को चार साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में डालकर उनमे परीक्षक फॉर्मलीन की 20–20 बूंदे प्रत्येक भाग में डालकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया। उक्त तैयार लेबल मे से एक–एक लेबल कर किरानों को गोंद से चिपकाया। चारों नमूनो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को गोंद से चिकाया प्रत्येक** पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2103** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/269 दिनांक 04–06–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 503 दिनांक 17–04–2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पिज्जा ब्रेड (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2103** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ पिज्जा ब्रेड (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/269 दिनांक 04–06–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 503 दिनांक 17–04–2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पिज्जा ब्रेड (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2103** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 गया है। प्रकरण में अभियुक्त बावजुद सूचना अनुपस्थित रहा है। पत्रावली में वक्त सुनवाई विभागीय पैरोकार द्वारा तत्सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य/ दस्तावेज पेश किये है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया **पिज्जा ब्रेड (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **सुश्री लेखानी सोनी पुत्र श्री रजनीकान्त निवासी– शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स सुटो केफे, शारदा कोलोनी, गोकुल गेलेक्सी, बांसवाडा (राज) को रूपये 20000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 13–01–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)